न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 217/2024 निर्णय दिनांक :–04.06.2025

उनवानी दावा :

1. शांतिलाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. मन्जू पुत्री गोपीलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. बच्ची देवी पत्नि दुर्गालाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. राजेश पुत्र दुर्गालाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. माया पुत्री दुर्गालाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादी–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक राज0

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार

दावा बाबत् उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता/दादा/ससुर गोपी पुत्र लालू मीणा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 88 खसरा नम्बर 1304 रकबा 3.13 है0 वाके ग्राम सिरोही पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोक राज0 मे स्थित है। वादीगण के पिता/दादा/ससुर का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे गोपी पुत्र कालू अंकित है। वादीगण के पिता/दादा/ससुर को लालू तथा कालू इन दोनो नामो से जाना जाता था। गोपी पुत्र लालू की मृत्यु दिनांक 11.09.2009 को हो चुकी है तथा गोपी के मृत्यु प्रमाण पत्र मे भी वादीगण के पिता/दादा/ससुर का नाम गोपीलाल पुत्र लालाराम उर्फ कालू अंकित है तथा वादीगण की माता/दादी/सास रामकूंरी की भी मृत्यु दिनांक 07.12.2017 को हो चुकी है। वादीगण के पिता/दादा/ससुर की अन्य खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 147 मे वर्णित भूमि वाके ग्राम सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक मे स्थित है जिसमे वादीगण के पिता/दादा/ससुर का नाम गोपी पुत्र लालू

4.6.25

राजस्व रिकार्ड मे अंकित था जिसके कारण ग्राम सेन्दियावास में स्थित गोपीलाल के हिस्से की जमीन का नामांतकरण वादीगण के हक मे खोला जा चुका है परन्तु वाद वर्णित आराजीयात मे वादीगण के पिता/दादा/ससुर का नाम गलत अंकन होने से वादीगण के नाम फोती का नामांतकरण नही खुला है। राजस्व रिकार्ड मे सहवन से वादीगण के पिता/दादा/ससुर गोपी के का बोलता नाम कालू मीणा गलत अंकित हो गया है जबकि वादीगण के पिता/दादा/ससुर का वास्तविक नाम गोपी पुत्र लालू मीणा अंकित होना चाहिये था ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे वादीगण वे पिता/दादा/ससुर का नाम दुरूस्त कर गोपी पुत्र लालू मीणा अंकित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादीगण के पिता/दादा/ससुर गोपी पुत्र लालू मीणा की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण मृतक गोपीलाल के वारिसान है। वादीगण के पिता/दादा/ससुर का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत अंकन होने से वादीगण के हक मे उक्त आराजीयात का नामांतकरण नही खोला जा सका है जिसके कारण वादीगण उक्त आराजीयात, बाबत केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है तथा वादीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण का मोके पर वाद वर्णित आराजीयात पर कब्जा काश्त है तथा उपयोग उपभोग कर रहे है। गोपी पुत्र कालू मीणा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम सेन्दियावास मे नही है। वाद कारण आज़ से 7 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादीगण हल्का पटवारी के पास अपने नाम नामांतकरण खुलवाने के लिये गये तब वादीगण के पिता/दादा/ससुर के नाम का गलत अंकन होने से हल्का पटवारी ने नामांतकरण खोलने से मना कर दिया तब से लगातार रूप से जारी है।वाद वर्णित आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद दो प्रतियो मे पेश है। अतः वादीगण की अभियाचना है कि :-

अ- वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज डिकी किया जाकर वाद वर्णित आराजीयात खाता संख्या 88 खसरा नम्बर 1304 रकबा 3.13 है0 वाके ग्राम सिरोही पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोक राज0 की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे वादीगण के पिता/दादा/ससुर का नाम दुरूस्त कर गोपी पुत्र कालू मीणा के बजाय गोपी पुत्र लालू मीणा अंकित कर वादीगण को वाद पत्र के चरण नम्बर 1 मे वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार

4.6.25

उद्घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

ब–खर्चा मकदमा दिलाया जावे।

स– अन्य सहायता जो वादीगण के हित मे लाभप्रद हो, प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई।

अतः प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–वाद का चरण संख्या 1 अस्वीकार है। ग्राम सिरोही पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली का खसरा नंबर 1304 रखवा 3.53 है0 किस्म बारानी प्रथम गोपी पुत्र कालू जाति मीणा सा. सेन्दियावास खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । वाद का चरण सं. 2 वादी स्वयं सिद्ध करें । वाद का चरण संख्या 3 न्यायिक है । वाद का चरण संख्या 4 कानूनी है। वाद का चरण संख्या 5 कानूनी है। वाद का चरण संख्या 6 कानूनी है। वाद का चरण संख्या 7 कानूनी है। वाद स्वीकार योग्य नहीं है

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

तनकियात बिन्दूः–

1. **आये वादीगण, वाद वर्णित आराजीयात खाता संख्या 88 ख. नं. 1304 रकबा 3.13 है0 वाके ग्राम वाके ग्राम सिरोही प0 ह0 पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0 के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादीगण के पिता/दादा/ससुर का नाम गोपी पुत्र कालू मीणा के बजाय गोपी पुत्र लालू मीणा दुरूस्त करवाकर वादीगण को वाद वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है ?**

–वादीगण–

2. **आया प्रतिवादी, वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ?**

–पेरोकार सरकार–

पत्रावली सांक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी स्वयं शांतिलाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील

4.6.25

देवली जिला टोंक राज0, पी. डब्ल्यू–2 शिवराज सिंह पुत्र फून्दाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0, पी. डब्ल्यू–3 रामलाल पुत्र केसरलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0 के पेश किये।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः–प्रदर्श–पी.–1 ग्राम सेन्दियावास की जमाबन्दी, प्रदर्श–पी.–2 ग्राम सिरोही की जमाबन्दी, प्रदर्श–पी.–3 दुर्गालाल की मृत्यु का प्रमाण पत्र, प्रदर्श–पी.–4 रामकुरी की मृत्यु का प्रमाण पत्र, प्रदर्श–पी.–5 गोपीलाल की मृत्यु का प्रमाण पत्र पेश किया।

पेरोकार सरकार ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

पेरोकार सरकार ने अन्य साक्ष्यो से जिरह नहीं करना जाहिर किया और अधिवक्ता वादी ने और साक्ष्य नहीं करना जाहिर किया।

अतः जिरह बंद कर साक्ष्यवादी बंद की गई ।

पेरोकार सरकार ने आदेशिका पर लिखा किया कि प्रतिवादी कोई साक्ष्य नहीं कराना चाहते है। अतः प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो का ही दोहरान करते हुए वाद वादीपक्ष डिक्री करने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

<u>तनकियात बिन्दूः–</u>

1. आये वादीगण, वाद वर्णित आराजीयात खाता संख्या 88 ख. नं. 1304 रकबा 3.13 है0 वाके ग्राम वाके ग्राम सिरोही प0 ह0 पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0 के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादीगण के पिता/दादा/ससुर का नाम गोपी पुत्र कालू मीणा के बजाय गोपी पुत्र लालू मीणा दुरूस्त करवाकर वादीगण को वाद वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है ? –वादीगण–

4.6.25

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था । प्रदर्श–पी.–1 ग्राम सेन्दियावास की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 147 में वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता का नाम गोपीलाल है।

प्रदर्श–पी.–2 ग्राम सिरोही की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 88 में गोपी पुत्र कालू का नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–पी.–3 वादीगण संख्या 3 ता 5 के पिता दुर्गालाल की मृत्यु का प्रमाण पत्र है।

प्रदर्श–पी.–4 गोपीराम की पत्नी रामकुरी की मृत्यु का प्रमाण पत्र है।

प्रदर्श–पी.–5 गोपीलाल की मृत्यु का प्रमाण पत्र जिसमें गोपीलाल के पिता का नाम लालाराम उर्फ कालू का अंकन है।

वाद वादी अनुसार खाता संख्या 88 ख. नं. 1304 रकबा 3.13 है0 वाके ग्राम सिरोही की वर्तमान जमाबन्दी गोपी पुत्र कालू का अंकन है जबकि वास्तव में वादीगण के पिता/दादा/ससुर का नाम गोपी पुत्र लालू है। इसको साबित करने के लिए वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू 1 से 3 ने वाद पर सहमति की है और गोपी पुत्र कालू की बजाय गोपी पुत्र लालू के नाम की ताईदी की है। साथ ही प्रदर्श–पी–5 गोपीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी गोपीलाल के पिता का नाम लालाराम उर्फ कालू का अंकन है। इस मृत्यु प्रमाण पत्र से यह जाहिर होता है कि वादीगण के पूर्वज गोपीलाल के पिता की पहचान लालूराम व कालूराम दोनो नाम से थी। जिसको वादीगण ने मृत्यु प्रमाण पत्र, साक्ष्य शपथ पत्र से किया है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीपक्ष किया जाता है।

2. आया प्रतिवादी, वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ? –पेरोकार सरकार–

इस तनकी को साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था। पेरोकार सरकार ने इस तनकी को साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेजात व साक्ष्य पेश नहीं किये है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादी किया जाता है।

4.6.25

आदेश

तनकीवार विवेचन से वाद को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से वाद स्वीकार किया जाता है और जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 1304 रकबा 3.13 है0 में गोपी पुत्र कालू के स्थान पर गोपी पुत्र लालू उर्फ कालू दुरूस्त किया जाता है और वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 04.06.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 217/20..
दिनांकः–04.06.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी दावा :

1. शांतिलाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. मन्जू पुत्री गोपीलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. बच्ची देवी पत्नि दुर्गालाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. राजेश पुत्र दुर्गालाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. माया पुत्री दुर्गालाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादी–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक राज0

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार

दावा बाबत् उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. 217 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाद को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से वाद स्वीकार किया जाता है और जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 1304 रकबा 3. 13 है0 में गोपी पुत्र कालू के स्थान पर गोपी पुत्र लालू उर्फ कालू दुरूस्त किया जाता है और वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है।

निजी...मुवलिक...बाबत् ....
..................................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

4.6.25

Scanned with OKEN Scanner

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 06 सन् 2025 को जारी किया गया।

मुहर

दस्तख्त .....
ओहदा .....

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner